कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमाक/2080/आजाक/PMAGY/2020–21 कबीरधाम दिनांक 26/12/2020

कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर का पत्र क/PMAGY/2018–3/2020–21/2015 रायपुर दिनांक 13.07.2020 एवं कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/पत्र क/1245/दिनांक 29.09.2020 में उल्लेखित प्रॉवधान के अनुसार नियम एवं शर्तो का पालन करते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत **''यंग प्रोफेशनल''** पद पर अस्थायी रुप से नियुक्त किया जाता है। विवरण निम्नानुसार :–

क्र	चयनित का नाम	पिता का नाम	वर्ग	पता	मसिक वेतन (एक मुश्त)	पदस्थापना
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री दित्य प्रताप सिंह कुर्रे	श्री भरत लाल कुर्रे	अजा	जयस्तम्भ चौक मस्तुरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	25000/– (पच्चीस हजार मात्र)	कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कबीरधाम (छ.ग.)

नियम एवं शर्ते :–

1. यह नियुक्ति प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चयनित ग्रामों में ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण एवं ग्राम विकास योजना के कियान्वयन व मानिटरिंग हेतु के लिए होगा। भ्रमण के लिए किसी भी प्रकार की अन्य भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
2. यह नियुक्ति उपस्थिति माह से अस्थायी रुप से 18 माह के लिए होगी। उक्त अवधि के पश्चात यह आदेश स्वमेव समाप्त मानी जोवगी।
3. सेवा समाप्ति पश्चात किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
4. योजना के कार्य के अतिरिक्त अन्य विभागीय कार्य हेतु आवश्यकता पड़ने पर करना होगा।
5. अपनी उपस्थिति दिनांक **08/01/2021** तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कबीरधाम कलेक्ट्रेट परिसर प्रथम तल में देनी होगी। उपस्थिति के समय समस्त शैक्षणिक योग्यता, स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी, छ.ग. मूल निवासी प्रमाण पत्रों को अभिप्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत करना होगा।
6. मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थिति दिनांक से 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर ही वेतन भुगतान किया जावेगा।
7. सेवा अवधि में अन्य किसी तरह ही कोई व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। यदि इसकी अवहेलना की जाती है तो नियुक्ति निरस्त माना जावेगा।
8. सेवा अवधि के दौरान यदि किसी भी प्रकार की शिकायत/प्रकरण पाया जाता है तो तत्काल सेवा समाप्ति की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
9. सेवा अवधि के दौरान आप ऐसे किसी कृत्य यथा सार्वजनिक भाषण/वक्तव्य से दूर रहेंगे। सेवा अवधि के दौरान ईमानदारी, स्वतंत्रता, निष्पक्षता नियंत्रण सक्षम अधिकारी के बिना सहमति की अन्य किसी स्त्रोतो से अप्रत्यक्ष भेंट, पारिश्रमिक, अन्य हित लाभ ग्रहण नहीं कर सकेंगे।
10. यदि आप उपरोक्त वर्णित समय पर अपनी उपस्थिति नहीं देते है तो यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
11. उल्लेखित शर्तो को मान्य किये जाने का सहमति पत्र कार्य पर उपस्थित तिथि को प्रस्तुत करना होगा।

(जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

26/12/2020

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कबीरधाम

कबीरधाम दिनांक 26/12/2020

पृ0कमाक/2021/आजाक/PMAGY/2020–21

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन देयक/शाखा प्रभारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबधित श्री दित्य प्रताप सिंह कुर्रे श्री भरत लाल कुर्रे जयस्तम्भ चौक मस्तुरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

26/12/2020

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कबीरधाम